



## राजस्थान आवासन मण्डल

सूरतगढ नई आवासीय योजना में नकद भुगतान पद्धति से खुली बिक्री योजना

### आवास प्राप्त करने का सुनहरा अवसर

योजना प्रारम्भ तिथि :- 16.12.2019

योजना समाप्ति तिथि :- 30.12.2019

राजस्थान आवासन मण्डल, नई आवासीय योजना, सूरतगढ में नगद भुगतान पद्धति के तहत आवास आवंटन हेतु खुली बिक्री योजना दिनांक 16.12.19 से " पहले आओ पहले पाओ " के आधार पर प्रारम्भ की जा रही है। इसमें उपलब्ध आवासों की लागत, पंजीकरण राशि, विकल्पानुसार मांग राशि का विवरण इस प्रकार है:-

#### —: विवरण :-

क्र. सं.	आवासों का आय वर्ग, साइज व आवास नम्बर	आरक्षित मूल्य	आवेदन पत्र के साथ देय राशि	कब्जा प्राप्ति से पूर्व देय राशि
1	2	3	4	5
1.	EWS 3.75x11.25=42.187Sq.m. Plinth Area =15.08 Sqm 1/103,1/142, 3/105, 3/204, 3/211, 3/216, 3/224,& 3/225 = 8 Nos.	4,31,400/-	12,000/-	4,28,651/-


#### :- नियम व शर्तें :-

1. आवासों का आवंटन नकद भुगतान पद्धति द्वारा किया जायेगा।
2. लीज राशि, कॉर्नर चार्जेज व अतिरिक्त भूमि चार्जेज मंडल नियमानुसार देय होगा।
3. आवास " जहाँ है जैसा है " के आधार पर आवंटन कर उसी स्थिति में कब्जा दिया जायेगा।
4. अन्य नियम व शर्तें मण्डल नियमानुसार रहेगी।
5. विस्तृत जानकारी के लिए मंडल की वेबसाइट [www.urban.rajasthan.gov.in/rhb](http://www.urban.rajasthan.gov.in/rhb) पर देखी जा सकती है।

#### :- सम्पर्क सूत्र :-

कार्यालय आवासीय अभियन्ता  
9/58-59, राजस्थान आवासन मण्डल  
खण्ड हनुमानगढ  
मो. 9983993928, 01522- 244318, 244176

परियोजना अभियन्ता (वरिष्ठ)  
2/45, नई आवासीय योजना  
राजस्थान आवासन मण्डल, सूरतगढ  
मो. 9672989363, 9649924945

  
C.M. Saharan  
R.E. MCM

-:खुली बिक्री योजना में मकान आवंटन के नियम व शर्तें:-

- 1- खुली बिक्री योजना में आवंटित किये जाने वाले प्रतिदिन उपलब्ध मकानों के नम्बर नोटिस बोर्ड पर लगाये जायेगे, जिससे मकान लेने वाले आवंटियों को यह छूट होगी कि अपनी पसन्द का मकान लेने के लिए अपना विकल्प दे सकें।
- 2- खुली बिक्री योजना में प्रतिदिन उपलब्ध मकानों के लिए विकल्प/आवेदन पत्र शाम 4.00 बजे तक लिये जायेगें एवं मकानों का आवंटन उसी दिन कर दिया जायेगा।
- 3- यदि मकान के लिए एक ही आवेदक है तो उसे वह मकान आवंटित कर दिया जायेगा, तथा एक से अधिक आवेदकों के होने पर लॉटरी द्वारा आवंटन किया जाएगा।
- 4- यदि किसी मकान का विकल्प/आवेदन पत्र देने वालों में पंजीकृत आवेदक भी सम्मिलित है तो आवंटन में पंजीकृत आवेदकों को वरियता दी जायेगी। यदि एक ही पंजीकृत आवेदक है तो वह मकान उसी को आवंटित किया जायेगा। यदि एक से अधिक पंजीकृत आवेदक हो तो पंजीकृत आवेदकों के बीच में लॉटरी कर मकान का आवंटन किया जायेगा।
- 5- मकान आवंटन लॉटरी में असफल आवेदकों का जमाशुदा पंजीकरण राशि का डी.डी. तुरन्त वापिस लौटा दिया जायेगा, यदि आवेदक इस डी.डी. को उसी दिन आवंटन से शेष रहे किसी अन्य मकान के लिए उपयोग में लेना चाहे तो ऐसा करने के लिए उसे छूट दी जायेगी, इस विशेष परिस्थिति में एक मकान के लिए एक से अधिक आवेदक होने पर मकान का आवंटन लॉटरी द्वारा ही किया जायेगा।
- 6- नगद भुगतान पद्धति पर ही आवासों का आवंटन किया जायेगा।
- 7- आवंटन पत्र की माँग राशि नियत अवधि 60 दिवस में जमा नहीं करवाने पर मकान का आवंटन रद्द कर आवेदन पत्र के साथ जमा करवाई गई पंजीकरण राशि में से 20 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- 8- आवेदन फार्म में आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटो एवं हस्ताक्षर राजपत्रित अधिकारी/नोटेरी से सत्यापित करवाकर प्रस्तुत करना होगा।
- 9- आवेदक को आवेदन फार्म के साथ तालिका के कॉलम संख्या 4 में अंकित देय राशि का बैंक ड्राफ्ट **"राजस्थान आवासन मण्डल, सुरतगढ़"** के पक्ष में देय बनवाकर जमा करवाना होगा।
- 10- मकान **"जहाँ है जैसा है (As it is where it is basis)"** के आधार पर आवंटित कर मकान का उसी स्थिति में कब्जा सुपुर्द किया जायेगा।
- 11- आवासों की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
- 12- इस योजना की प्रारम्भ दिनांक 16.12.19 से आवेदन फार्म आवासीय अभियन्ता, हनुमानगढ़/सुरतगढ़ के कार्यालय से रुपये 500.00 + 18% GST नगद भुगतान कर कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकेंगे।

याद रहे, योजना की अन्तिम तिथि 30.12.2019 है

  
C.M. Saharan  
R.E. HMH